(5)

मूल वद में डिक्री

(आदेष 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) - कांकण - सागवाड़ा

*पीठासीन अधिकारी :- **शैलेष सुराणा (RAS)***

उनवान

श्री नगली .....बनाम श्री रामा मीणा - कोरिया

दावा बाबत धारा 188 R.T.Act

मुकदमा नम्बर :- 4/2014 ए०वा०

निर्णय दिनांक :- 13/6/2015

वादी की ओर से श्री नगली .....की व प्रतिवादी की ओर से .....

अनुपस्थित .....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13/6/2015 .....

को **शैलेष सुराणा** (नाम पीठासीन अधिकारी) **उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - ग्राम कांकण सागवाड़ा की ख०नं० 3176 रकबा 1.30 हेक्टेयर भूमि कब्जिया की है जिसमें काश्त कर उनपालि भूमि मंजूरशुदा हाए कृषि व आवास प्रयोजनार्थ आवंटित करने का एक निर्धारित नियमों के तहत दिया गया है। अर्थात अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व 2008 के नियम के अधीन काश्त कर वाद में उस वन भूमि पर स्वयं खेती करने निवास करने के वन अधिकार को मान्यता दी गई है। लेकिन इस वाद वर्णित भूमि का "काश्तकार" (Tenant) R.T.O

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13/6/2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(शैलेष सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी
ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2=00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
.....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल	4=00		
जोड	6=00	जोड	-NIL-

R.T.O